284

392

Rs 30/-

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

RS171-III/17

लाले तनय रामसखा वैश्य निवासी ग्राम गन्नई, तहसील सरई, जिला सिंगरौली म0प्र0

-------निगरानीकर्ता

बनाम्

1- फुलेश्वरी पत्नी रामसहाय वैश्य
2- चौरसिया पत्नी लाले प्रसाद वैश्य
3- हरी प्रसाद तनय बैजनाथ वैश्य
4- मिथिलेश पिता रामानुज वैश्य
5- सुमन देवी पत्नी पवन कुमार अग्रवाल
6- विश्वनाथ पिता रामछबीला काछी
7- रामकृपाल तनय जगनारायण काछी
सभी निवासी ग्राम गन्नई, तहसील सरई, जिला सिंगरौली म0प्र0
8- बृहस्पति प्रसाद तत्कालीन पटवारी हल्का गन्नई
9- म0प्र0 शासन

-------- गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 निगरानी विरुद्ध आदेश कलेक्टर जिला सिंगरौली प्रकरण कमांक 3 बी/121/15-16 आदेश दिनांक 27-03-17

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह मनमाना तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमे मामले में उपलब्ध साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है न ही निगरानीकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त मौका ही दिया गया है, मनमाने तौर पर आदेश पारित किया गया है जिसे निरस्त किया जाना उचित एवं विधिक होगा।

लाले प्रसाद

XXXIX(a)-BR(H)-11

284

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

जिला–सिंगरौली

प्रकरण क्रमांक **R–5171-II/17**

लाले वैश्य/फुलेश्वरी वैश्य

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विपिन त्रिपाठी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 313/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	